



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1829]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940

No. 1829]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/ JYAISHTHA 01, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2018

का.आ. 2022(अ).—केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 163क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,

मोटर यान अधिनियम, 1988 की दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“दूसरी अनुसूची

(धारा 163—क देखिए)

तीसरा पक्षकार घातक दुर्घटना/क्षति के मामलों में दावों हेतु प्रतिकर की अनुसूची

1. (क) घातक दुर्घटनाएँ :

मृत्यु के मामले में देय प्रतिकर पाँच लाख रुपये होंगे।

(ख) दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता :

देय प्रतिकर = { रुपये 5,00,000/- x कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की अनुसूची 1 के अनुसार प्रतिशत निःशक्तता } :

परन्तु किसी भी प्रकार की स्थायी निःशक्तता के मामले में न्यूनतम प्रतिकर पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी।

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप सूक्ष्म क्षति :

पचीस हजार रुपये का एक निश्चित प्रतिकर देय होगा।

2. जनवरी, 2019 की पहली तारीख से पैरा 1 के खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रतिकर की रकम में वार्षिक 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

1. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।”

[सं. आर.टी.-11021/65/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2018

S.O. 2022(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government, keeping in view the cost of living, hereby makes the following amendment to the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Motor Vehicles Act, 1988, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted namely:—

“THE SECOND SCHEDULE

(See Section 163A)

SCHEDULE FOR COMPENSATION FOR THIRD PARTY FATAL ACCIDENTS/INJURY CASES CLAIMS**1. (a) Fatal Accidents:**

Compensation payable in case of Death shall be five lakh rupees.

(b) Accidents resulting in permanent disability:

Compensation payable shall be = [Rs. 5,00,000/- × percentage disability as per Schedule I of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923)] :

Provided that the minimum compensation in case of permanent disability of any kind shall not be less than fifty thousand rupees.

(c) Accidents resulting in minor injury:

A fixed compensation of twenty five thousand rupees shall be payable:

2. On and from the date of 1st day of January, 2019 the amount of compensation specified in the clauses (a) to (c) of paragraph (1) shall stand increased by 5 per cent annually”.
3. This notification shall come into form on the date of its publication in the Official Gazette.”

[F. No. RT-11021/65/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.